E PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRA-ORDINARY PART-II SECTION 3. SUB-SECTION (ii)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION INCOME-TAX

New Delhi, the 6th December, 1996.

- S.O. (E)-In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:
- 1. (1) These rules may be called Income-Tax (Amendment) Rules, 1962.
 - (2) They shall come into force w.e.f. 29.9.1995.
- 2. In the Income-Tax Rules, 1962 :-
- (a) in rule 82, is clause (2), after the words "a part of a superannuation fund", the words "which includes a fund, by whatever name called, established or constituted with a sole purpose of making payment of pension or family pension by the employer to his employees"; shall be inserted;
 - (b) in rule 89, the following proviso shall be inserted at the end, namely:
 - "Provided that nothing in this rule shall apply to a fund established or constituted, under an irrevocable trust which has its sole purpose to make payment of pension or family pension, in accordance with the rules or regulations made under the following Central Acts, namely:
 - (i) the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), or



- (ii) the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or
- (iii) the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955); or
- (iv) the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959); or
- (v) the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964); or
- (vi) the National Bank for Agriculture and Rural Development Act,
 - (vii) the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981); or
 - (viii) the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984 (62 of 1984); or
 - (ix) the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989); or

(x) the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987)".

(JAI RAJ KAJLA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

F.No. 149/56/95-TPL.

No. 10242

Foot Note: The principal rules were published vide notification SO 969 dated 26.3.1962 and last amended by notification published under S.O. 810 (E) dted 22.11.1996.

भारत सरकार तिस्त मैत्रालय राजस्त विभाग १केन्द्रीय प्रत्यक्षं कर बोर्डी

अधिसूचना

आय - कर

नई दिल्ली, तारीख 💪 दिसम्बर, 96

का • आ • किन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 है। शिका 43 की धारा 295 की उपधारा ११ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अधात :-

।॰ १।१ इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर हैं – संशोधन १ नियम, 1996 है

१२१ ये २१∙१∙।११५ से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में:-

१क१ नियम 82 के खंड १२१ में "अधिवार्षिकी निधि का कोई भाग"
पाइदाँ के पश्चात् "जिसमें नियोजक द्वारा अपने कर्मवारियाँ को
पेशन या परिवार पेशन के संदाय करने के एक मात्र प्रयोजन से स्थितिक्त
या गठित वाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए कोई निधिभी
सिम्मिलित हैं। शब्द अन्त: स्थापित किए जारों ;

शिख नियम 89 के अन्त में निम्मलिसित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अथातः -

" परन्तु इस नियम की कोई बात किसी अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन स्थापित या गिठत किसी ऐसे निधि को लागू नहीं होगी, जिसका अपना एक मात्र प्रयोजन निम्नलिखित केन्द्रीय अधिनियमों, के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार पेपान या परिवार पेपान का सदाय करना है : अथिति :

120 TO TO TO THE POPULATION OF अतर सचित, भारत सरकार ន្ត្នីក្រាប់ ក្រព្ឋ ប្រពន្ឋ

15 STO DIVE

१६८ एक ४१वरा १ एक स्थितिया, एषर १ एक एक एक ए 112 : 第62 1年 6861 8

१८९। ,मप्रनेशिम कर्ड माक्की एम्पर पुर प्रिजाम XXJ 8

मात : 829 मक 6861 है

१८९। , मणने धीस कहि जी मी मी ने मुख्य कार्य है। एक प्रतिष्ठा म 8/14/18

TB : 885 T# 1861 8

1891 सप्रमीप्रीक्ष कर्ष काष्ट्राप्त-नौप्रमी प्रिष्ठाकः 811108

ाए : हिंद कि 1861 है 8178

1891 , मधनोधीस कह माक्वी एमिए उसि प्रोकु छड्डिगड ाए : १८। एक १९०१ १

Paci , मणनीशीस केंद्र साकती कारी गिर्गिष्ट छित्राम 818

TD : (82 10 6561)

९८९। , मणिनामिस हिक्दै निक्रिट्टमिस कई उर्ड प्रिजाम 8/18

TO : 855 कि टेटेश है टेटेश स्प्रमोधोह की उर्ज प्रिजाह 8 1/1/1/8

TD : 80P TO 0801 8 0801 , HUFTETE 81.1.8

१ए९०-६ र्रीह मेंबर एक रिमक्पर हिम्मक रिरोक कर्ड

TB : \$2 TΦ OTCI \$ OTCI , HBF BTE 8PSD=% 5 किए कि एक किए कि निम्मक रिज्ञा 8118